प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः विपक्षीगण को इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजियात वाके मोजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा ए तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 386 की आराजी नंबर 2230 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2231 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2232 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2233 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2234 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2376 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2377 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 2386 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.6700 हैक्टेयर भूमि की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विपक्षीगण प्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल नहीं करे न करावें, आराजियात के किसी भी भू भाग को जरिये रहन, बय, बक्षीश या अन्य तोर से खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करे न करावें विपक्षीगण को हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा जारी हो जिसकी प्रति विपक्षी को जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी जावे। आगामी पेशी तक रजिस्टर्ड तामिल पेश नहीं करने की स्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त मानी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 12.09.2024 को पेश हो।

28.8.24. पत्रावली पेश। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर सुनी गई व तलब की गई। प्रार्थी ने निवेदन किया कि हम उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने से उक्त प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते हैं। प्रार्थी का विड्रा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इसी स्टेज पर विड्रा किया जाता है। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible]

देवीलाल

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.09.06 15:55:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner